	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
	पौष 07, सोमवार, *शाके* 1942–दिसम्बर 28, 2020 *Pausa 07, Monday, Saka 1942-December 28, 2020*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 09, 2020

संख्या प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/48837 :-**विभागीय अधिसूचना क्र**-प.8(ग)( ) नियम/ डीएलबी/19/38119 दिनांक 17.12.19 द्वारा **आयुक्त नगर निगम जयपुर की अभिशंषा पर राज्य सरकार राजथान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 **की धारा** 325 **की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जयपुर** (**विवाह स्थल का पंजीयन**) **उपविधि**-2012 **के क्लॉज** 16 (**घ**) **में लिये जाने वाले विलम्ब शुल्क में दिनांक** 31.03.2020 **तक निम्नानुसार शिथिलता/छूट प्रदान की गई थी**:-

"**वर्ष** 2019-20 **तक का समस्त पूर्ण बकाया**, **एकमुश्त विवाह स्थल पंजीयन शुल्क की राशि दिनांक** 31.03.2020 **तक जमा कराने पर** 10 **प्रतिशत शास्ति एवं** 100 **रूपये प्रतिदिन का विलम्ब शुल्क एवं ब्याज में शत्-प्रतिशत छूट देय होगी। इस अवधि के पश्चात् से समस्त शुल्क**, **शास्ति एवं विलम्ब शुल्क नगर निगम जयपुर विवाह स्थल का पंजीयन संशोधन उपविधि**-2012 **के अनुरूप देय होगी।**"

उक्त प्रदत्त छूट की अवधि एतद् द्वारा आगामी दिनांक 31.12.2020 **तक बढाई जाती है।**

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव ।

3436

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।